

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I

दिनांक : 6 मई, 2016

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
केरल  
तिरुवनंतपुरम

विषय : केरल विधानसभा के साधारण निर्वाचन – वोटर वेरीफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) सहित ईवीएम का प्रयोग – तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 21 मार्च, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I के केरल के ऐसे 12 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है जहां मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु सभी वोटिंग मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर जोड़ा जाएगा। उपर्युक्त निदेशों को बाद में आयोग के दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2016/एसडीआर/खण्ड-I के द्वारा संशोधित किया गया था ताकि उसमें केवल उन्हीं मतदान केन्द्रों को शामिल किया जा सके जिसमें निर्वाचकों की संख्या 1350 तक है। इस संबंध में आयोग के दिनांक 07 मार्च, 2016 के पत्र का संदर्भ लिया जा सकता है। उक्त पत्र में यह निर्णय लिया गया था कि वीवीपीएटी सिस्टम को केवल 1350 से कम मतदाताओं वाले मतदान केन्द्र में प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन नामावलियों के सतत अद्यतनीकरण के पश्चात आपके द्वारा जमा कराई गई मतदान केन्द्रों की सूची के आधार पर निदेशों में आगे और संशोधन किया गया है। दिनांक 06 मई, 2016 के संशोधित निदेश एतद्वारा संलग्न है।

2. ये निदेश तत्काल राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराए जाएं और उस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग के सूचनार्थ और रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।
3. उपर्युक्त निदेश आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निदेशों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और जन संचार के सभी मीडिया माध्यमों के जरिए इन संशोधित निदेशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(एन. टी. भुटिया)

अवर सचिव

राज्य सरकार के राजपत्र में  
तत्काल प्रकाशनार्थ

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 6 मई, 2016

### निदेश

सं. 576/3 / वीवीपीएटी / 2016 / एसडीआर - खण्ड - I :- दिनांक 21 मार्च, 2016 के आयोग के निदेश सं. 576 / 3 / वीवीपीएटी / 2016/ एसडीआर - खण्ड - I एवं दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के तदन्तर निदेश सं. 576 / 3 / वीवीपीएटी / 2016 / एसडीआर - खण्ड - I का आंशिक संशोधन करते हुए, आयोग ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि दिनांक 21 मार्च, 2016 के निदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, केरल विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में, इस अधिसूचना के अनुबंध -I में यथाविनिर्दिष्ट 1062 मतदान केन्द्रों में ड्रॉप बॉक्स के साथ प्रिन्टर का प्रयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)  
प्रधान सचिव

केरल विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2016 में वीवीपीएटी के प्रयोग हेतु केरल में चयनित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची और इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में 1350 तक निर्वाचक हैं (अंतिम नामावली प्रकाशित करने के पश्चात)

जिला सं. जिले के नाम की संख्या	जिले के नाम का नाम	वि.स.नि. क्षेत्र की संख्या	वि.स.नि. क्षेत्र	मतदान केन्द्रों
2	कन्नूर	11	कन्नूर	33
4	कोझीकोड	27	कोझीकोड उत्तर	95
5	मलप्पुरम	40	मलप्पुरम	92
6	पालाक्काड	56	पालाक्काड	76
7	त्रिस्सूर	67	त्रिस्सूर	105
8	एरनाकुलम	82	एरनाकुलम	65
8	एरनाकुलम	83	त्रिक्कारा	87
10	कोट्टयम	97	कोट्टयम	142
11	अलप्पुझा	104	अलप्पुझा	91
13	कोल्लम	124	कोल्लम	122
14	तिरुवनन्तपुरम	133	वट्टीयूरकाबू	69
14	तिरुवनन्तपुरम	135	नेमम	85

कुल म्.के.-1062